कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष–कार्यालय 0755–2674228, 0755–2673906, ई–मेल pccfcampa@mp.gov.in

क्रमांक / कैम्पा / 23–24 / 469 / 2627 भोपाल, दिनांक 8 - 06.2023

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक / संचालक (राष्ट्रीय उद्यान / टाईगर रिजर्व)
समस्त मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी वृत्त)
समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित 2022) के पालन के संबंध में।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–9–20 / 2021 / 3973 भोपाल, दिनांक 13.01.2023

–0–

उपरोक्त संदर्भ मे लेख है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015, (यथा संशोधित 2022) तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि 13.01.2023 से लागू किया गया है।

अतः उक्त नियमों के पालन हेतु सामग्री क्रय / सेवा उपार्जन प्रक्रिया के संबंध मे आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है :–

- विभाग द्वारा जेम पोर्टल अथवा एम.पी. टेण्डर पोर्टल मे से किसी भी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की दशा मे मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।
- शासन के निम्न संस्थाओं का उपयोग उनके समक्ष दर्शाई गई सेवाओं के उपार्जन के लिये बिना निविदा आमंत्रित किये अथवा खुली निविदा के माध्यम के किया जा सकता है –

क्रं.	संस्था का नाम	कार्य
1	मध्यप्रदेश माध्यम	प्रचार–प्रसार प्रिंटिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित सेवा
2	मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन	सॉफ्टवेयर विकास, प्रशिक्षण संबंधी सेवायें, ड्रोन संबंधित सेवायें
3	उद्यमिता विकास हेतु (CEDMAP)	प्रशिक्षण संबंधी सेवायें एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु

- इस नियम के अधीन अनारक्षित सामग्री का क्रय बिना कोटेशन या निविदा के सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक अवसर पर 50,000 / – रुपये मूल्य तक का क्रय जेम पोर्टल / स्थानीय बाजार के माध्यम से किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग समस्त बजट शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष मे अधिकतम 05 बार किया जा सकेगा।
- विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक अवसर पर रुपये 50,001 से 2,50,000 / – तक के मूल्य की अनारक्षित सामग्री का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विक्रेताओं मे से न्यूनतम तीन निर्माताओं के उत्पादों की उपयुक्तता, गुणवत्ता, विनिर्देशन और प्रदाय अवधि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम दर के निर्माता

से किया जा सकेगा। इस पद्धति का उपयोग भी वर्ष मे 05 बार (समस्त बजट शीर्ष मे) से अधिक अवसरों पर नहीं किया जावे।

- क्रय की जाने वाली सामग्री या सेवाओं का अनुमानित मूल्य रुपये 2.50 लाख से अधिक होने पर खुली निविदा के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जावे।
- खुली निविदा हेतु http://mptenders.gov.in की ई–टेण्डरिंग प्रणाली अथवा जेम (Gem) पोर्टल का ही उपयोग किया जावे।
- ई–पोर्टल के अतिरिक्त व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों मे संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशित कराया जावे।
- साधारणतः निविदा की प्रतिभूति, क्रय / उपार्जन की जाने वाली सामग्री के अनुमानित मूल्य के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 3 प्रतिशत होगी।

अतः भविष्य मे विभागीय कार्यों हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं के उपार्जन मे उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित, 2022) का भली–भांति अध्ययन कर प्रावधानों का समुचित पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(महेंद्र सिंह धाकड़)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्रमांक / कैम्पा / 23–24 / 469 / 2628
भोपाल, दिनांक 8–06.2023

प्रतिलिपिः–

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
मध्यप्रदेश भोपाल